15/1/19

श्रीमान अपीलार्थी अधि० / सहायक लेखाधिकारी द्वारा यह तथ्य लाया गया है कि उभय पक्ष के मध्य लेन देन वर्तमान लेखा के अन्तर्गत एसी दशा में उभय पक्ष का कुनबाई का दावा है। उनके मध्य लेखों की सीमा तक वसूली अभिलेखों की कमी पूर्ति अपेक्षित है शेष लेखा विपक्षी किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलार्थी आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके हक की कुल सीमा तक लेखा की पूर्ति किया जावे एवं शेष लेखा विपक्षी दर्ज किया जावे।

उभय पक्ष दिनांक 15/2/19 को अधीनस्थ न्यायालय के उपस्थित रहें। अपील सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होने नम्बर 6 दर्ज की जावे एवं बाद तामील तस्दीक दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]